भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3013

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया)

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु सीएसआर निधियां

3013. श्रीमती पूनम महाजनः
कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कारपोरेट क्षेत्र को उनके अनिवार्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि को मुख्य संस्थाओं और निकायों में अनुसंधान एवं विकास में निवेश हेतु खर्च करने की अनुमति देने की निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि सरकार सीएसआर निधियों का उपयोग सरकारी परियोजनाओं पर करने पर भी विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी हां। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा उसकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की सूची शामिल है। इस अधिनियम की अनुसूची-VII की मद संख्या (ix) जिसमें निम्नलिखित पठित है:

"(ix)(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अभिकरण या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा वित्त-पोषित इनक्यूबेटरों अथवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अभिदाय; और

(ख) संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को बढावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के संचालन में कार्यरत परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई); जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); औषध विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों, नामत: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर); और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन स्थापित सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों को अभिदाय।"।

(ग) और (घ): सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को उसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों पर निर्णय लेने का अधिकार है।

*****